

**बिहार लोक सेवा आयोग,**


15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001

**वि.सं.-44/2014 के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना**

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अधीन विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों में अरबी विषय में सहायक प्राचार्य, के पदों पर नियुक्ति हेतु वि.सं.- 44/2014 के अन्तर्गत अर्हित/अनर्हित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए अनर्हित अभ्यर्थियों से अपनी अनर्हता पर आपत्ति होने की स्थिति में दिनांक 01.07.2019 तक आपत्ति अभ्यावेदन की मांग की गयी थी। तदालोक में प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदनों के साथ संलग्न साक्ष्य स्वरूप प्रमाण पत्रों के समीक्षोपरांत निम्नलिखित उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए पुनः उन्हें अनर्हित की श्रेणी में यथावत रखा गया है:

44010069	44010081	44010136
----------	----------	----------

2. औपबंधिक रूप से अर्हित उम्मीदवारों की अर्हता पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा Ph.D/M.Phil With UGC Regulation 2009 का दावा किया गया है, उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया जाता है कि वे अपने-अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्गत M.Phil/Ph.D. Registration No. & Date, Pre Ph.D अंकपत्र एवं Ph.D/M.Phil कितने और किन-किन Criteria से उत्तीर्ण हुए हैं, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय समर्पित करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने वाले अभ्यर्थी को Ph.D/M.Phil without UGC Regulation 2009 माना जाएगा।
4. आयोग के वेबसाईट पर पूर्व से प्रदर्शित अर्हित उम्मीदवारों की सूची में से नियमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के पाँच गुणा उम्मीदवारों को शैक्षणिक अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा जिसकी सूचना बाद में प्रकाशित की जायेगी।

  
24.7.19  
संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।